

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, चित्रकूट

पत्रांक: 4674/ 33-1 / दिनांक, चित्रकूट, मई 22 2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
चित्रकूटधाम वृत्त, उ०प्र०,
बाँदा।

विषय : जनपद-चित्रकूट में राष्ट्रीय मार्ग सं०-76/35 (इलाहाबाद से बाँदा मार्ग) के किनारे 332 कि०मी० से 349 कि०मी० (ओबरी से कटिया तक) प्रस्तावित 33/11 के०वी० विद्युत लाइन निर्माण हेतु प्रभावित 25.5 हे० संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 325 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ : भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के पत्र सं०-8 बी/यू०पी०/०४/३८/२०१८/ एफ०सी०/७४ दिनांक 25.04.2018 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-3071/11 सी दि० 04.05.2018 व आपका पत्रांक-5050/33-1 दि० 04.05.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में विषयांकित प्रस्ताव में लगायीं गयीं 04 बिन्दुओं की आपत्तियों का निराकरण अभिलेख संलग्न कर निर्धारित प्रारूप में निम्न प्रकार प्रेषित है :-

S. No	Rectification Point	Compliance
1	2	3
1	The SOI toposheet of proposed land to be diverted as well as CA land has not been submitted.	प्रस्ताव के पेज सं०-53 पर संलग्न है।
2	Comments on alternative route has not been submitted.	प्रस्ताव के पेज सं०-28 पर संलग्न है।
3	Area calculation has to be exact for oblique crossing of transmission lines.	प्रस्ताव के पेज सं०-31 व 32 पर संलग्न है।
4	Reference of Rights of Primitive tribes and pre agricultural communities not mentioned in FRA certificate.	प्रमाण-पत्र संलग्न है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

संख्या 4674अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि : मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को ~~उनके~~ संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भुवनेश्वरी
(ईश्वर दयाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, चित्रकूट

(ईश्वर दयाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, चित्रकूट